

## कार्यालय आदेश

उ0प्र0 सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्तगण के मध्य कार्य आबंटन संबंधी पूर्व में पारित सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सूचना आयुक्तगण को निम्नवत् सुनवाई कक्षों से सम्बद्ध करते हुए, विभिन्न मण्डलों/जनपदों व शासन के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित अपीलों/शिकायतों की सुनवाई का कार्य आबंटित किया जाता है :-

राज्य सूचना आयुक्त का नाम	आवंटित सुनवाई कक्ष सं०	कार्य आबंटन	
		मण्डल/जनपद	शासन के विभाग
(रिक्त) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	एस-1		1- राज्यपाल सचिवालय । 2- मुख्यमंत्री कार्यालय एवं लोक शिकायत विभाग । 3-मुख्य सचिव कार्यालय । 4-गृह विभाग । 5-प्रशासनिक सुधार विभाग । 6-नियुक्ति विभाग । 7-कार्मिक विभाग । 8-चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग । 9-न्याय विभाग । 10-वित्त विभाग । 11-गोपन विभाग । 12-नियोजन विभाग । 13-नागरिक उड्डयन विभाग । 14-वे विभाग जो अन्य किसी राज्य सूचना आयुक्त को आवंटित नहीं है ।  उपर्युक्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों/संस्थाओं से संबंधित शिकायतों व अपीलों पर भी सुनवाई की जायेगी : 1-लोक सेवा आयोग । 2-लोकायुक्त कार्यालय । 3-अधीनस्थ सेवा चयन आयोग । 4-राज्य सूचना आयोग । 5-मा0 उच्च न्यायालय, समस्त जनपद न्यायाधीश व अधीनस्थ न्यायालय ।
श्री सुबेश कुमार सिंह	एस-2	<u>बरेली मण्डल</u> 1- बरेली	1-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग । 2-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ।

		2- पीलीभीत 3- शाहजहाँपुर 4- बदायूँ <b>चित्रकूट मण्डल</b> 1- बांदा 2- चित्रकूट 3- हमीरपुर 4- महोबा	3-समग्र ग्राम्य विकास विभाग । 4-राज्य सम्पत्ति विभाग । 5-पशुधन विभाग । 6-खाद्य एवं रसद विभाग । 7- धर्मार्थ कार्य विभाग । 8- प्राविधिक शिक्षा विभाग । 9-निजी पूँजी निवेश विभाग । 10-लोक सेवा प्रबन्धन विभाग । 11- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।
श्रीमती रचना पाल	एस-3	<b>लखनऊ मण्डल</b> 1-लखनऊ 2-सीतापुर 3-हरदोई 4-रायबरेली 5-उन्नाव 6-लखीमपुर खीरी	1-उच्च शिक्षा विभाग । 2-सतर्कता विभाग । 3-कृषि विभाग । 4-नागरिक सुरक्षा विभाग । 5-उपभोक्ता संरक्षण एवं बांटमाप विभाग । 6-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग । 7-अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।
श्री सुभाष चन्द्र सिंह	एस-4	<b>कानपुर मण्डल</b> 1-कानपुर नगर 2-कानपुर देहात 3-औरैया 4-इटावा 5-फर्रुखाबाद 6-कन्नौज <b>बस्ती मण्डल</b> 1-बस्ती 2-संतकबीरनगर 3-सिद्धार्थनगर	1-लोक निर्माण विभाग । 2-रेशम विकास विभाग । 3-युवा कल्याण विभाग । 4-विकलांग जन विकास विभाग । 5-ग्राम्य विकास विभाग । 6-वाह्य सहायतित परियोजना विभाग । 7-परती भूमि विकास विभाग । 8- भाषा विभाग । 9- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।
श्री हर्षवर्धन शाही	एस-5	<b>वाराणसी मण्डल</b> 1- वाराणसी 2- चन्दौली 3- गाजीपुर 4- जौनपुर <b>सहारनपुर मण्डल</b> 1-सहारनपुर 2-मुजफ्फरनगर 3-शामली	1-संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग । 2-राजनैतिक पेंशन विभाग । 3-निर्वाचन विभाग । 4-विधायी विभाग । 5-संसदीय कार्य विभाग (विधानसभा सचिवालय एवं विधान परिषद सचिवालय सहित ) । 6-होमगार्ड्स विभाग । 7-कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ।

			8- खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग । 9- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।
श्री अजय कुमार उप्रेती	एस-6	<b>फैजाबाद मण्डल</b> 1-फैजाबाद 2-बाराबंकी 3-अम्बेडकर नगर 4-सुल्तानपुर 5-अमेठी <b>देवीपाटन मण्डल</b> 1-गोण्डा 2-श्रावस्ती 3-बलरामपुर 4-बहराइच	1-ऊर्जा विभाग । 2-कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग । 3-कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग । 4-आबकारी विभाग । 5-चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग । 6-नगर विकास विभाग । 7-नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग । 8- प्रोटोकाल विभाग । 9- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।
श्रीमती किरन बाला चौधरी	एस-7	<b>इलाहाबाद मण्डल</b> 1- इलाहाबाद 2- कौशाम्बी 3- प्रतापगढ़ 4- फतेहपुर <b>मिर्जापुर मण्डल</b> 1- मिर्जापुर 2- भदोही 3- सोनभद्र	1-पर्यावरण विभाग । 2-भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग । 3-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग । 4-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग । 5- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग । 6-संस्कृति विभाग । 7-कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग । 8-समाज कल्याण विभाग । 9-अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग । 10-अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।
श्री चन्द्र कान्त पाण्डेय	एस-8	<b>गोरखपुर मण्डल</b> 1- गोरखपुर 2- देवरिया 3- कुशीनगर 4- महाराजगंज <b>झाँसी मण्डल</b> 1- झाँसी 2- ललितपुर 3- जालौन	1-परिवहन विभाग । 2- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग । 3- वस्त्रोद्योग विभाग । 4- अवस्थापना विकास विभाग । 5-राजस्व विभाग । 6-महिला एवं बाल विकास विभाग । 7-बेसिक शिक्षा विभाग । 8-पंचायती राज विभाग । 9- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।

श्री प्रमोद कुमार तिवारी	एस-9	<u>मुरादाबाद मण्डल</u> 1- मुरादाबाद 2- अमरोहा 3- बिजनौर 4- रामपुर 5- सम्भल <u>आजमगढ़ मण्डल</u> 1-आजमगढ़ 2-बलिया 3-मऊ	1- वन विभाग । 2- खेल विभाग । 3- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग । 4- दुग्ध विकास विभाग । 5- समन्वय विभाग । 6- सूचना विभाग । 7- एन0आर0आई0 विभाग । 8-माध्यमिक शिक्षा विभाग । 9- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।
श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	एस-10	<u>मेरठ मण्डल</u> 1- मेरठ 2- गाजियाबाद 3-गौतमबुद्धनगर 4-बुलन्दशहर 5-बागपत 6-हापुड़	1-आवास एवं शहरी नियोजन विभाग । 2-सचिवालय प्रशासन विभाग । 3-सामान्य प्रशासन विभाग । 4-औद्योगिक विकास विभाग । 5-सहकारिता विभाग । 6-श्रम विभाग । 7-खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग । 8-व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग । 9- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।
श्री राजीव कपूर	एस-11	<u>आगरा मण्डल</u> 1- आगरा 2- मथुरा 3- फिरोजाबाद 4- मैनपुरी <u>अलीगढ़ मण्डल</u> 1- अलीगढ़ 2- हाथरस 3- एटा 4- कासगंज	1-लघु सिंचाई विभाग । 2- मत्स्य विभाग । 3-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग । 4-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग । 5-पर्यटन विभाग । 6-सार्वजनिक उद्यम विभाग । 7-सैनिक कल्याण विभाग । 8-उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग । 9- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।

## नोट –

- 1— उ०प्र० शासन के किसी विभाग के अधीन कार्यरत निदेशालय/आयुक्त कार्यालय/परिषद/आयोग/संस्थान/परियोजना/निगम के मुख्यालय से सम्बन्धित शिकायत या अपील पर उन्हीं सूचना आयुक्त द्वारा सुनवाई की जायेगी, जिन्हें वह विभाग आबंटित किया गया है।
- 2— उ०प्र० शासन के किसी विभाग से सम्बन्धित किसी क्षेत्रीय, मण्डलीय या जनपद स्तरीय कार्यालय से सम्बन्धित शिकायत या अपील पर सुनवाई उन्हीं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा की जायेगी, जिन्हें वह जनपद आबंटित है जहाँ उक्त क्षेत्रीय, मण्डलीय या जनपद स्तरीय कार्यालय आबंटित है।
- 3— नगरीय व ग्रामीण स्थानीय निकायों व नगरीय विकास प्राधिकरणों से सम्बन्धित शिकायत या अपील उन्हीं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सुनी जायेगी, जिन्हें वह जनपद आबंटित है जहाँ प्रश्नगत स्थानीय निकाय या नगरीय विकास प्राधिकरण स्थित है।
- 4— पुनर्स्थापना, पुनरीक्षण तथा आदेश वापसी सम्बन्धी आवेदन पर सुनवाई उन्हीं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा की जायेगी, जिन्होंने आदेश पारित किया है। यदि आदेश पारित करने वाले राज्य सूचना आयुक्त अब सेवा में नहीं है, तो वह राज्य सूचना आयुक्त इस आवेदन पर सुनवाई करेंगे, जिन्हें प्रश्नगत विभाग या जनपद आबंटित है।

( जावेद उस्मानी )  
मुख्य सूचना आयुक्त

## उ०प्र० राज्य सूचना आयोग, लखनऊ।

पत्र सं० / मु०सू०आ० / कैम्प / 2019, दि० फरवरी, 2019

उपरोक्त आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— समस्त राज्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० राज्य सूचना आयोग, लखनऊ।
- 2— मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, उ०प्र०।
- 4— प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री उ०प्र०।
- 5— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6— समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

- 7- सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग ।
- 8- विधि अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ ।
- 9- उपसचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग ।
- 10- जनसूचना अधिकारी / वित्त अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग ।
- 11- कार्यालय अधीक्षक, उ0प्र0 सूचना आयोग ।
- 12- नाजिर, उ0प्र0 सूचना आयोग ।
- 13- समस्त पेशकार / आशुलिपिक ग्रेड-1 व ग्रेड-2 / अहलमद, उ0प्र0 सूचना आयोग ।
- 14- डाक प्राप्ति अनुभाग , उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ ।
- 15- नोटिस बोर्ड, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ ।
- 16- पत्रावली हेतु ।

( शिव प्रसाद आनन्द )

सचिव

work order

